**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2080**

**वाघलधरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दुर्घटनाएं**

**2080. श्री मनसुख एल. मांडविया:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के सूरत-मुम्बई खण्ड पर वाघलधरा में उपरीपुल के नीचे से होकर जाने वाले उपमार्ग के संकीर्ण होने के कारण होने वाली समस्या के निवारण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आज की तारीख के अनुसार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, क्योंकि इस जंक्शन पर इस संकीर्ण उपमार्ग के कारण घातक दुर्घटना की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई पत्र मिला है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

(क) और (ख) भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वाघलधरा स्‍थित जंक्‍शन की ज्‍यामिति में काफी सुधार करके सुरक्षा उपाय किए हैं । तथापि छूटे हुए छोटे से भाग में सुधार के लिए अतिक्रमण हटाने का मामला जिला प्रशासन के समक्ष उठाया गया है । इसके अलावा इस स्‍थान पर सर्विस रोड़ पर स्‍ट्रीट लाइट, मुख्‍य कैरिजवे और अंडर पास, स्‍पीड ब्रेकर, संकेतक, कैट आइज, रोड़ स्‍टड्स और ब्‍लिंकर आदि लगाए गए हैं । गुजरात सरकार से भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई पत्र-सूचना प्राप्‍त नहीं की गई है ।

\*\*\*\*\*\*